ग्राम पंचायत कंड करडियाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग –1

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रक्कड़, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिच कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्रीमति रेशमा देबी	22/01/2010 से 22/01/2015
2	श्रीमति शारदा देबी	23/01/2015 से लगातार

सचिवः–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्रीमति पमी देबी	01/04/2013 से 30/09/2013
2	श्रीमति माया प्रसाद	30/9/2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत कंड करडियाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

कम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5 (2)	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता (क) में अन्तरित न करना	0.37
2	8	पंचायत राजस्व की शेष वसूली	–
3	9	अनुदान राशि का अवरोधन	5.66
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करने बारे	2.97
5	11	क्रय की गई सामग्री का भंण्डारण न करना	3.12

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत कंड करडियाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23/11/2016 से 05/12/2016 तक ग्राम पंचायत कंड करडियाना के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 11/13, 03/15 व 05/15 एवं व्यय के लिए माह 03/2014, 10/2014, व 10/2015 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत कंड करडियाना, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 21 दिनांक 12/12/2016 द्वारा सचिव, पंचायत कंड करडियाना से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत कंड करडियाना, विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 4/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः

4.1 **स्वः स्त्रोत व अनुदानः**— ग्राम पंचायत कंड करडियाना, के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क) स्व स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	874	29159	8801	38834	29717	9117
2014—15	9117	99253	8103	116473	17511	98962
2015—16	98962	13075	3265	115302	33275	82027

ख) अनुदान

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2013—14	224994.53	2454464.00	10440.00	26898898.53	2321898.00	368000.53
2014—15	368000.53	1898736.00	10877.00	2277613.53	1856917.53	420696.00
2015—16	420696.00	2307075.00	15741.00	2743512.00	2177470.00	566042.00

दिनांक 31.3.2016 को स्वः स्त्रोत व अनुदानों का अन्तशेष (क+ख) ₹648069

<u>दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण</u>:—

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	3233672433	355687.00
2	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	3233682634	1256
3	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	3233357364	9
4	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	3233409686	9376
5	केसीसी बैंक चामुंडा	20012008043	120304
6	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	3233388246	43108
7	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	3233291753	0
8	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	323376971	238
9	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	32335020773	3677
10	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	31710210123	112814
11	सैन्ट्रल बैंक ऑफ चामुंडा	3233187639	0
		योग	**646469.00**

अन्तर ₹648069.00—₹646469.00 =₹1600.00

अन्तर के कारणः—

1. के0सी0सी0 बैंक का प्राप्ति का चैक नम्बर 091143 ₹1600 दिनांक 31.3.2016 के पश्चात बैंक में जमा करवाया गया है।

5 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः—

रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही

का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमो के विरूद्ध ग्यारह बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत कंड करडियाना में दो के स्थान गत पैरा 4(1) में वर्णित ग्यारह बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन नौ अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 खाता 'ख' मे अर्जित ब्याज ₹0.37 लाख को खाता 'क' मे अन्तरित न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता 'ख' में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता 'क' में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत कंड करडियाना के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹37058 खाता 'ख' से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता 'क' में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता 'ख' के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता 'क' में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

माह/वर्ष	कुल ब्याज
2013–14	10440.00
2014–15	10877.00
2015–16	15741.00
कुल योग	**37058.00**

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय

के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत कंड करडियाना द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेशः–

ग्राम पंचायत कंड करडियाना, द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा योजना में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0 प्र0 पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.17 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव कंड करडियाना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹16750 की वसूली शेष थी।

गृहकरः–

क्र0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	अन्तशेष
1	2013–14	17790.00	8000.00	25790.00	25290.00	500.00
2	2014–15	500.00	8250.00	8750..00	450.00	8300.00
3	2015–16	8300.00	8500.00	16800.00	50.00	16750.00

शराब शुल्कः– वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत शराब शुल्क प्राप्त ही नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान की ₹5.66 लाख का उपयोग हेतु शेषः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31—03—2016 तक अनुदानों प्राप्त में से ₹566042 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न—भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये ।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹2.97 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का कय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹297193 के रेत, बजरी व अन्य निर्माण सामग्री का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही खरीद करना सुनिश्चित की जाये।

क) मनरेगाः—

क0 सं0	वाउचर संख्या	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	201/ 24.3.14	—	श्री सुभाष चन्द	पत्थर फाड़ा	580	6	3480
2	203/ 24.3.14	—	श्री जीत कुमार	पत्थर	1100	6	6600

3	216 / 28.3.14	550	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्राईजिज	रेत क्रशैर	100 फीट	35	3500
4	219 / 28.3.14	—	श्री पवन कुमार	बजरी	179 घोड़े	30	5370
5	44 / 7.10.14	592	मैसर्ज ऐम्बे हार्डवेयर	स्टील 10 एम एम	202 केजी	4650	9393
6	52 / 19.10.14	24 / 2.10.14	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर	100 फीट	35	3500
7	54 / 19.10.14	16 / 29.9.14	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर	100 फीट	35	3500
8	62 / 19.10.14	19 / 30.9.14	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत क्रशैर मीकस	200 फीट 200 फीट	35 32	7000 6400
9	64 / 19.10.14	0031500 13.10.14	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	30 बैग	260	7800
10	66 / 31.10.14	—	श्री ठाकुर दास	पत्थर	1000	6	6000
11	75 / 31.10.14	30754 / 10.10.124	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	25 बैग	260	6500
12	51 / 23.10.14	—	श्री कर्मचन्द	रेत बजरी	250 फीट	24	6000
13	52 / 23.10.15	—	श्री करतार सिंह	पत्थर फाड़ा	1180	6	7080
14	— 10.10.15	36852 / 10.10.15	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	100 बैग	278	27800
					योग		**109923**

ख) सभा निधी व अनुदान

क0 सं0	**वाउचर संख्या**	**बिल संख्या**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**राशि**
1	76 / 10.11.14	29 / 7.11.14	ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत ईटें	100 फीट 1000	35 6.50	3500 6500
2	85—86 / 9.10.15	35836 / 16.11.15	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	30 बैग	278	8340
3	88 / 13.10.15	89 / 21.9.15	ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत	100 फीट	35	3500
4	91 / 19.10.15	1170 / 8.10.15	दशमेश ट्रेडिंग	स्टील 8 एम एम 10 एम एम	5 क्वैंटल	4180	20900

5	92／19.10.15	36896／7.11.15	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	50 बैग	278	13900
6	94／26.10.15	258／21.9.15	मै0 मनीषा ट्रेडर्ज	रंग इत्यादि	—	—	8560
7	95／26.10.15	99／24.10.15	ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत	200 फीट	35	7000
				क्रशैर मीकस	200 फीट	32	6400
8	97／26.10.15	.—	श्री अशोक कुमार	रेत बजरी	137 घोड़े	30	4110
9	100／28.10.15	540／28.10.15	सूर्या शक्ति इन्टरप्राईजिज	सोलन लाईट	5	20000	100000
10	103／30.10.15	138／25.8.15	ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत	120 फीट	38	4560
					योग		**187270**
					कुल योग		**297193**

11 ₹3.12 लाख के क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 4／13 से 3／16 तक के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹312438 के क्रय कये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को क्रय के उपरान्त न तो भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया गया और न ही इसका आगामी निपटारा किया गया जिसका कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब क्रय किये गये सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री को भण्डार रजिस्टर पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जायेः—

क0 सं0	वाउचर संख्या	बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	175／4.3.14	—	श्री प्रकाश चन्द	रेत व बजरी	60 घोड़े	₹30 प्रति	1800.
2	177／4.3.14	535	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्रइजिज	रेत	45 फीट	₹35	1575.
3	195／11.3.14	0039845／11.3.14	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	10 बैग	234.00	2340.

4	198 / 19.3.14	0044 / 16.3.14	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	600	600
5	199 / 19.3.14	0122 / 16.3.14	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	500	500
6	200 / 19.3.14	0045 / 16.3.14	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	500	500
7	201 / 24.3.14	—	श्री सुभाष चन्द	पत्थर फाड़ा	580	6 रू0	3480
8	203 / 24.3.14	—	श्री जीत कुमार	पत्थर	1100	6 रू0	6600
9	209 / 28.3.14	134	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	500	500
10	210 / 28.3.14	131	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	500	500
11	211 / 28.3.14	139	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	500	500
12	212 / 28.3.14	135	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	500	500
13	213 / 28.3.14	132	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	500	500
14	214 / 28.3.14	133	श्री राजकुमार	साईन बोर्ड	1	600	600
15	216 / 28.3.14	550	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्राईजिज	रेत क्शैर	100 फीट	35	3500
16	219 / 28.3.14	—	श्री पवन कुमार	बजरी	179 घोड़े	30	5370
17	217 / 28.3.14	—	श्री तिलक राम	सैट्रिंग	195 फुट	10	1950
18	44 / 7.10.14	592	मैर्सज ऐम्बे हार्डवेयर	स्टील 10 एम एम	202 कि0ग्रा0	4650	9393
19	52 / 19.10.14	24 / 2.10.14	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर	100 फीट	35	3500
20	54 / 19.10.14	16 / 29.9.14	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर	100 फीट	35	3500
21	62 / 19.10.14	19 / 30.9.14	मैसर्ज ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत क्शैर मीकस	200 फीट 200 फीट	35 32	7000 6400
22	64 / 19.10.14	0031500 13.10.14	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	30 बैग	260	7800
23	66 / 31.10.14	—	श्री ठाकुर दास	पत्थर	1000	6	6000
24	75 / 31.10.14	30754 / 10.10.124	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	25 बैग	260	6500
25	51 / 23.10.14	—	श्री कर्मचन्द	रेत बजरी	250 फीट	24	6000
26	52 / 23.10.15	—	श्री करतार सिंह	पत्थर फाड़ा	1180	6	7080
27	— 10.10.15	36852 / 10.10.15	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	100 बैग	278	27800
28	67 / 14.10.14	—	श्री अशोक कुमार	रेत बजरी	96 घोड़े	30	2880

29	76 / 10.11.14	29 / 7.11.14	ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत ईटें	100 फीट 1000	35 6.50	3500 6500
30	85–86 / 9.10.15	35836 / 16.11.15	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	30 बैग	278	8340
31	88 / 13.10.15	89 / 21.9.15	ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत	100 फीट	35	3500
32	91 / 19.10.15	1170 / 8.10.15	दशमेश ट्रेडिंग	स्टील 8 एम एम 10 एम एम	5 क्विटल	4180	20900
33	92 / 19.10.15	36896 / 7.11.15	नागरिक आपूर्ति निगम	सीमेंट	50 बैग	278	13900
34	94 / 26.10.15	258 / 21.9.15	मै0 मनीषा ट्रेडर्ज	रंग इत्यादि	–	–	8560
35	95 / 26.10.15	99 / 24.10.15	ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत क्रशैर मीकस	200 फीट 200 फीट	35 32	7000 6400
36	97 / 26.10.15	.–	श्री अशोक कुमार	रेत बजरी	137 घोड़े	30	4110
37	100 / 28.10.15	540 / 28.10.15	सूर्या शक्ति इन्टरप्राईजिज	सोलर लाईट	5	20000	100000
38	103 / 30.10.15	138 / 25.8.15	ओम ऐन्टर प्राईजिज	क्रशैर रेत	120 फीट	38	4560
					कुल योग		**312438**

12. आहरण एवं वितरण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना बिलों का भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान भुगतान किए गए बिलों को आहरण एवं वितरण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना ही बिलों का भुगतान कर दिया गया है जबकि नियमानुसार प्रत्येक भुगतान को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित करने के पश्चात ही बिलों का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः बिना पूर्व स्वीकृति के बिलों का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए बॉछित कार्यवाही अब अमल में लाई जायेः–

क्र0 सं0	वाउचर संख्या	मस्ट्रोल संख्या	कार्य का नाम	श्रमिकों की संख्या	दिनों की संख्या	दर	राशि
1	57 19.10.14	2504	c/o कूहल डंगा प्रवीण कुमार के घर के पास	2	16	271	4336.00
2	56 19.10.14	2507	c/o क्रेट व डंगा मिलाप चन्द के घर के पास	2	24	271	6504.00
3	58 19.10.14	2500	c/o कूहल टिल्ले से लेकर पृथ्वी चन्द के घर तक	1	8	271	2168.00
4	59 19.10.14	2519	c/o वॉटर टैंक श्रीमति कौशल्या देवी की जमीन पर	2	22	271	5962.00
5	67 31.10.14	2516	c/o वॉटर टैंक श्रीमति कौशल्या देवी की जमीन पर	10	69	95	6555.00
6	68 31.10.14	2517	c/o वॉटर टैंक श्रीमति कौशल्या देवी की जमीन पर	10	106	95	10070.00
7	69 31.10.14	2518	c/o वॉटर टैंक श्रीमति कौशल्या देवी की जमीन पर	2	20	95	1900.00
8	70 31.10.14	2501	c/o कूहल डंगा प्रवीण कुमार के घर के पास	10	83	154	12782.00
9	71 31.10.14	2502	c/o कूहल डंगा प्रवीण कुमार के घर के पास	10	105	154	16170.00
10	72 31.10.14	2503	c/o कूहल डंगा प्रवीण कुमार के घर के पास	7	76	154	11704.00
11	73 31.10.14	2505	c/o क्रेट व डंगा मिलाप चन्द के घर के पास	10	106	145	15375.00
12	74 31.10.14	2506	c/o क्रेट व डंगा मिलाप चन्द के घर के पास	10	105	145	15225.00

13 बिजली बिलों के रूप में किया गया ₹5209.00 का अनियमित भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर संख्या 64 दिनांक 26.03.2014 द्वारा ₹5209.00 का भुगतान ग्राम पंचायत कण्ड करडियाणा भवन के बिजली बिल के रूप में किया गया है पंचायत भवन में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त पशु पालन विभाग का औषधालय व स्वास्थ्य विभाग का औषधालय भी है तथा इन कार्यालयों द्वारा भी पंचायत भवन के बिजली के मीटर से ही बिजली उपयोग की जाती है। नियमानुसार इन कार्यालयों से भी अनुपातिक आधार पर बिजली के बिल की वसूली की जानी अपेक्षित है जोकि नहीं की गई है। अतः उपरोक्त वर्णित कार्यालयों से कार्यालय आंबटन की अवधि से लेकर आज दिन तक बिजली के बिलों की अनुपातिक आधार पर बसूली सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में इसी प्रकार बिजली के बिल का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विपभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख–रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

कम सं0	अभिलेख/रजिस्टर का नाम
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	शराब शुल्क प्राप्ति रजिस्टर
3	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4	निर्माण कार्य रजिस्टर
5	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
7	स्टॉक रजिस्टर

8 विकास निष्पादन रजिस्टर
9 पेशगी रजिस्टर

16 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यतता की जॉच नहीं की जा सकी। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय समस्त अनुदानों से सम्बघित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 लघु आपत्ति विवरणिकाः—यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

18 निष्कर्षः—लेखों के रख—रखाव व नियमों की अनुपालना में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 74/2017—खण्ड—1—2361—2364 दिनाँकः 25.04. 2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत कण्ड करडियाना विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881